

ପାତ୍ରିକା,
ପାତ୍ରିକା, ପାତ୍ରିକା ହେଉ ପାତ୍ରିକା,
ପାତ୍ରିକା ହେଉ ପାତ୍ରିକା।

Page 18 of 35 - 5-2019

संख्या— प्रतीक्षा/प्रतिक्रिया वाचकपत्र/२०१९/११३

क्रम संख्या	वार्षिक वर्तमान संख्या	प्रत्यक्षण का अनुभव	सूचीकृतीयोग्य/ विभिन्नताओं का एवं उन सालों के बाह्यिक कारण द्वारा	वार्षिक संख्या साल २०१५-२०१६ में विभिन्न कारणों द्वारा
१	३४८	३४८	३४८	३४८

[View all posts](#)

DIRECTOR
A.S.M. POLYTECHNIC
MATHURA

(खंड ३ अन्तर्गत शिख)

पुस्तकालय/प्रशिक्षण संनिवेश/2019/1132-2252
प्रतिक्रिया:-प्रधानमंत्री/गिरिहरा, चाहूल्हारा पाटील नारा।

卷之三

DIRECTOR
A.S.M. POLYTECHNIC
MATHURA

七

לעומת,

Digitized by srujanika@gmail.com

吉田三郎 摂影於 1921

—地圖、行、圖、。

मार्ग संख्या	प्राप्ति का नाम	प्राप्ति का वर्णन	प्राप्ति की मात्रा/ इकाई	प्राप्ति का अनुमान	
१	६०५	५३ उत्तर पूर्व संगोष्ठीनिया, गांधीज़िका।	विभिन्न इंजीन विभिन्न इंजीन इनामसही भास्करायाः प्रथम लक्ष्मी लक्ष्मीदेवत इंजीन लक्ष्मीनाथ इंजीन गांधीज़िका लक्ष्मीनाथ इंजीन गांधीज़िका	५० ५० ५० ५० ५० ५०	५० ५० ५० ५० ५० ५०

2020-01-01

三

(ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଥିବା)
ରାଜୀବ ଗାଁର ରାଜୀବ

卷之三十一 15-90-2020

पुस्तक- ग्रन्थालय/विभाग नं००१८/२०२३/ ३०७२-३४४
प्रकाशित-ग्रन्थालय/विभाग, २६ विहार नं० वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

ପ୍ରକାଶ ନଗର ପ୍ରମୋଦିତ
ଚାରିତ୍ରୀକାରୀ ଲଖିତ

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ, दिनांक: 09/08/2021

-कार्यालय ज्ञाप-

अधिकृत भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक - ०८/०८/२०२१ को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्राठ्यक्षम प्रदेश क्षमता बढ़ावा सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मिम्र संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्रांकित शर्तों के अधीन प्राठ्यक्षम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 1695-A S M POLYTECHNIC MATHURA

क्र०स०	प्राठ्यक्षम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL)	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकाली 1992 समेस्टर विनियमकाली-2016 तथा अन्य नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षोंप इंजी० प्राठ्यक्षमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय फार्मेसी प्राठ्यक्षम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय प्राठ्यक्षमों (दो वर्षीय फार्मेसी प्राठ्यक्षम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश ग्रमांवी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमकाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त ग्रन्थालय परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन ग्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उठाप्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उठप्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् उठप्र० द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों/आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
 - ✓ डिलोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद् संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को काँह गढ़ दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा.न्यायालय द्वारा किसी प्रकार को प्रतिपूर्त संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
 - ✓ डिलोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काऊन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीएसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काऊन्सिलिंग के माध्यम से अधिक संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्रद्धि विभाग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास सुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
 - ✓ संस्था की शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध तराने के साथ रेगिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था ने प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तकात संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासा की जायेगी।
 - ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रपोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टो०इ०० पी०सी०आई०/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
 - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रियां की जाएंगी।

(अनील कमार की ग़लत)

३८५

प्र०स०- पांडिप/परिवह सम्बन्ध/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

二〇〇〇

एस एम पॉलिटेक्निक A.S.M POLYTECHNIC MATHURA

(सुनाल कुमार सानकर)

संचित